❖❖ अनुसूचित जाति, जन-जाति एवं अल्पसंख्यकों की शिक्षा
(Education of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Minorities)

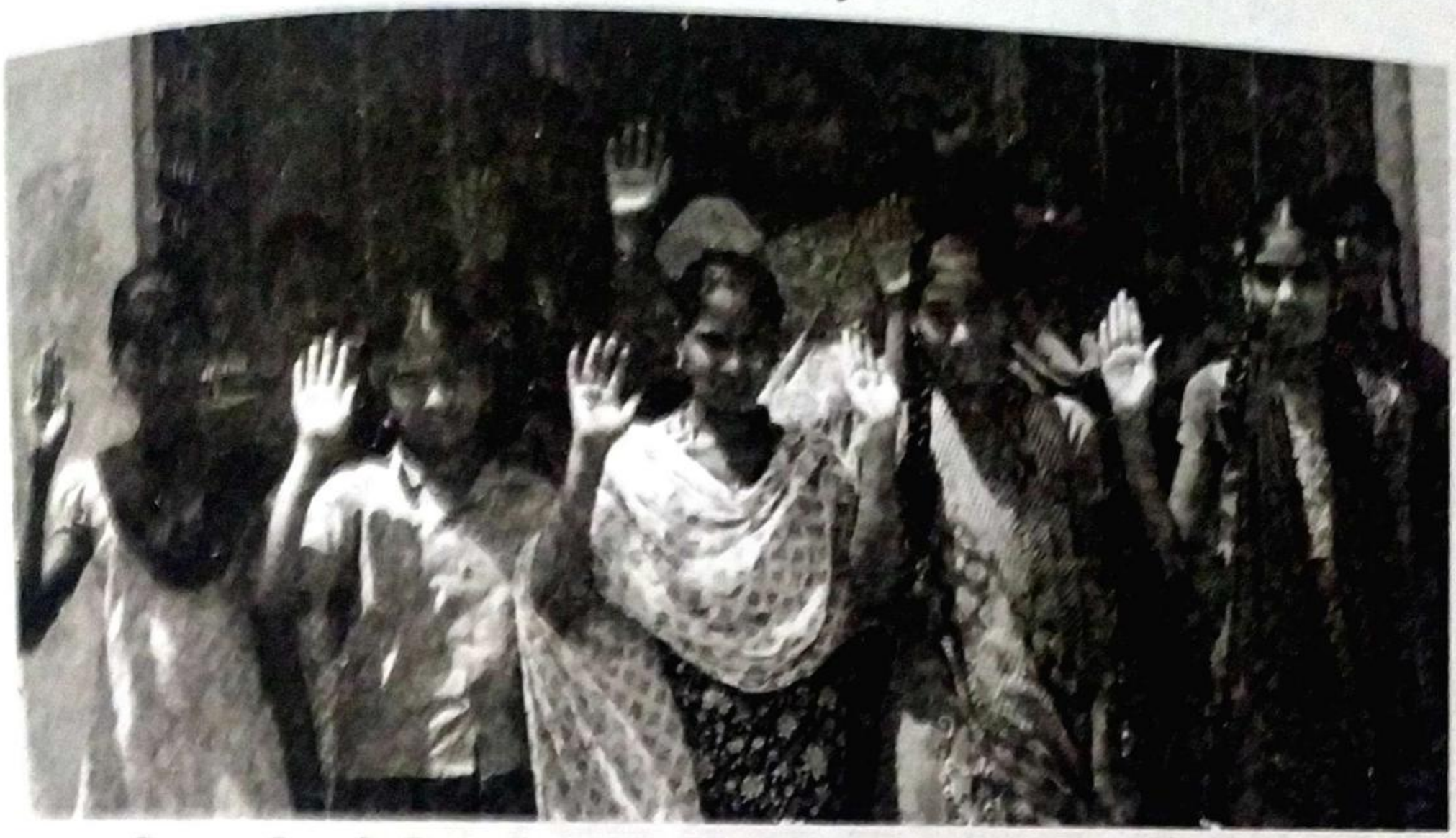

(I) अनुसूचित जाति की शिक्षा
(Education of Scheduled Caste)

अनुसूचित जाति के लोग सवर्ण हिन्दुओं द्वारा अस्पृश्य या अछूत माने जाते रहे हैं। यह भारतीय वर्ण व्यवस्था का कुपरिणाम व कलंक है तथा इन जातियों के लिए यह अभिशाप रहा है, क्योंकि वे अनेक शताब्दियों से अछूत बनकर समाज में हीन स्थिति में बने रहे हैं। इसका प्रमुख कारण उन्हें शिक्षा से वंचित रखना है।

प्राचीनकाल में वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था अर्थात् चार वर्ण अपने व्यवसाय के आधार पर बने थे, किन्तु प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति को अन्य व्यवसाय अपनाकर दूसरे वर्ण का सदस्य बनने का अवसर मिलता था। दूसरे शब्दों में, जाति जन्म के आधार पर न होकर कर्म या व्यवसाय के आधार पर निर्मित थी और सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility) के अवसर प्राप्त थे। यह शैक्षिक अवसरों की सभी वर्णों के लिए समानता का परिणाम था। कालांतर में वर्ण-व्यवस्था के नियम कठोर होते गए और निम्न वर्ण के लोगों की सामाजिक स्थिति हीनतर होती गई। वे शिक्षा के अवसरों से वंचित कर दिये गए। यह स्थिति मध्यकाल तक बनी रही। ब्रिटिशकाल में ईसाई मिशनरियों (Christian Missionaries) ने अछूतों के लिए विद्यालय खोले तथा सरकार ने उन्हें प्रोत्साहित किया। यद्यपि निस्पंदन सिद्धान्त (Downward Filteration Theory) के अनुसार अंग्रेजों की शिक्षा-नीति केवल उच्च वर्ग के कुछ लोगों को शिक्षित करने की रही, तथापि मानवता के नाते अछूतों की ओर भी उनका ध्यान आकृष्ट हुआ।

ब्रिटिशकाल में **हण्टर कमीशन** (Hunter Commission) ने अनुसूचित जातियों की शिक्षा हेतु निम्नांकित सुझाव दिये—

(a) अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए पृथक् कक्षाएँ अथवा पृथक् विद्यालय स्थापित किये जाएं।

(b) किसी सरकारी विद्यालय में (चाहे वह प्रांतीय सरकार का हो, चाहे म्यूनिसिपल बोर्ड आदि स्थानीय संस्था का हो) या सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालय में, जाति के आधार पर अनुसूचित जाति के बच्चों को प्रवेश वर्जित न किया जाए।

Scanned by TapScanner

सरकार ने ये सुझाव स्वीकार कर, अछूत जातियों के लिए पृथक् विद्यालय खोलने की परम्परा डाली; यद्यपि उस समय छुआछूत की भावना समाज में व्याप्त थी। सरकार ने छात्रवृत्ति देकर मिडिल पास व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया व उन्हें इन स्कूलों में अध्यापक बनने को प्रोत्साहित किया। सन् 1921 में अनुसूचित जाति के शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र व छात्राएँ लगभग 7 व 5 प्रतिशत थे।

सन् 1958 से 1921 के मध्य भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की लहर फैली, अनेक समाज सुधारक संस्थाओं ने अछूतोद्धार का कार्यक्रम अपनाया। इनमें 'आर्य समाज' के संस्थापक स्वामी दयानन्द व रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानन्द का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। 1921 में जब शिक्षा का हस्तांतरण भारतीयों को किया गया तब महात्मा गांधी के प्रभाव स्वरूप हरिजनों की शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किये गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख कार्यक्रम अछूतोद्धार को विशेष स्थान मिला।

1947 में भारतीय स्वाधीनता के पश्चात् अछूतोद्धार के कार्यक्रमों में गति आई। 1950 में भारतीय संविधान अपनाया गया।

संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)—पिछड़े वर्गों की दशा उन्नत करने और उन्हें शैक्षिक अवसर प्रदान करने हेतु संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किये गए—

(1) **धारा-17**—अस्पृश्यता निवारण तथा किसी भी रूप में उसके प्रयोग को वर्जित करना।

(2) **धारा-15**—अछूतों को सभी सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने की छूट।

(3) **धारा-16 व 335**—इन धाराओं द्वारा अनुसूचित जातियों को सार्वजनिक सेवाओं में स्थान आरक्षित करने का अधिकार राज्यों को दिया गया।

(4) **धारा-25**—हिन्दुओं के सभी सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं के द्वार उनके लिए खोल दिये गए।

(5) **धारा-29**—सरकारी अथवा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षा-संस्थाओं में प्रवेश के द्वार खोलना। इस धारा द्वारा शैक्षिक अवसरों की समानता की दिशा में प्रभावशाली कदम उठाया गया।

(6) **धारा-46**—अछूतों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का उन्नयन तथा सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के शोषण से उन्हें सुरक्षा देना।

(7) **धारा-164 व 338**—इन धाराओं में उनके कल्याण हेतु राज्यों में सलाहकार परिषदें व पृथक् विभाग की स्थापना तथा केन्द्र में विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया।

उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने हेतु अनेक प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं, जैसे—निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियाँ आदि।

(II) अनुसूचित जनजाति की शिक्षा (Education of Scheduled Tribes)

अनुसूचित जातियों की भाँति अनुसूचित जनजाति के लोग भी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से सदियों से पिछड़े हुए रहे हैं। पूर्व में कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों में तथाकथित आदिवासी सम्मिलित किए जाते हैं। इन जातियों का निर्धारण भी प्रत्येक राज्य द्वारा अपने क्षेत्र के अन्तर्गत किया जाता है। संविधान की धारा 341 व 342 में इन जातियों का उल्लेख किया गया है।

अनुसूचित जातियों के समान ही अनुसूचित जनजाति भी शिक्षा से वंचित रही तथा सुदूर पहाड़ों, रेगिस्तानों या जंगली प्रदेशों में रहने के कारण इनकी स्थिति अपेक्षाकृत अधिक सोचनीय थी। स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश काल में पूर्व चर्चित ईसाई मिशनरियों ने इन इलाकों में कुछ स्कूल खोलकर इन्हें शिक्षित करने का प्रयास अवश्य किया; किन्तु सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखलाई।

देश की स्वतंत्रता के पश्चात् अनुसूचित जाति की भाँति अनुसूचित जनजाति के लोगों की ओर

Scanned by TapScanner

सरकार का ध्यान गया। 1960 में इन जातियों की स्थिति का अध्ययन करते हुए यू०एन० ढेबर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया।

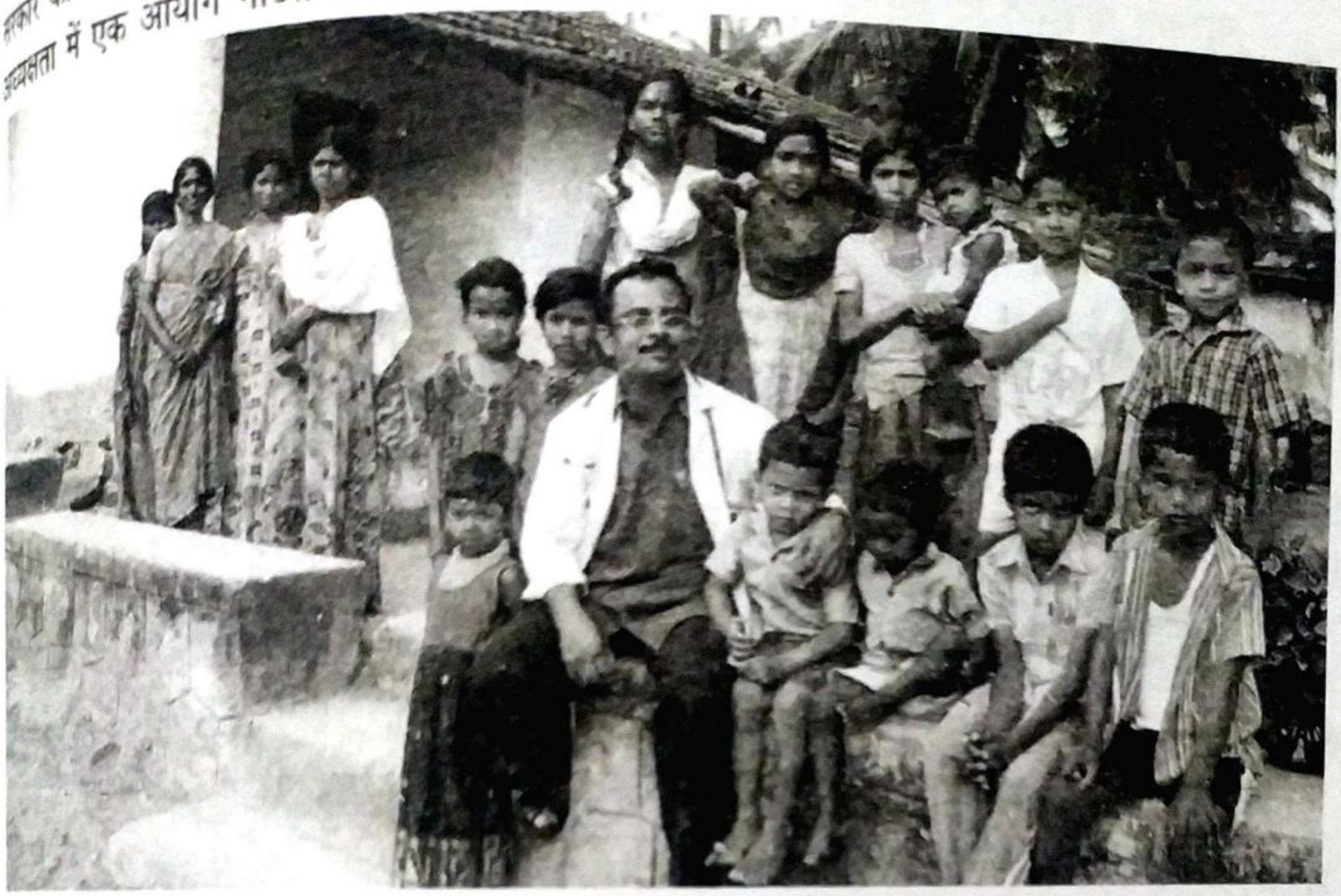

ढेबर कमीशन (1960-61)—ढेबर आयोग ने अनुसूचित जनजाति के बच्चों में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु अग्रांकित सुझाव दिए—

(1) बच्चों को मध्यान्ह भोजन, वस्त्र, पुस्तकें व लेखन सामग्री निःशुल्क दी जाए।
(2) इन बच्चों को किसी उद्योग को सिखाने पर बल दिया जाए।
(3) आदिवासी क्षेत्रों के विद्यालयों के शिक्षक वहाँ के जीवन व संस्कृति से अवगत हों।
(4) इन क्षेत्रों के शिक्षकों को अतिरिक्त भत्ता देकर उनके निवास की व्याख्या भी की जाए।
(5) इन क्षेत्रों में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएँ खोली जाएं।
(6) अनुसूचित जनजाति की आदिम भाषाओं का विकास किया जाए, उन्हें प्राथमिक शिक्षा के आरम्भिक दो वर्षों में शिक्षा का माध्यम बनाया जाए।

सरकार ने उपरोक्त सिफारिशों को स्वीकार कर उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयास किया। अभी विद्यालयों में अनुसूचित जाति की भाँति उनकी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था तथा अन्य शैक्षिक सुविधाएँ दी जाने लगीं। भारतीय (कोठारी) शिक्षा आयोग (1966) ने भी अनुसूचित जनजाति की शिक्षा हेतु अनुशंसाएँ कीं।

कोठारी शिक्षा आयोग (1964-65)—कोठारी शिक्षा आयोग ने इस संदर्भ में निम्नांकित सुझाव दिए—

(1) अनुसूचित जनजाति के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आश्रम स्कूल स्थापित किये जाएं, जहाँ उनके बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, वस्त्र, लिखने-पढ़ने की सामग्री की व्यवस्था हो।
(2) ढेबर आयोग की उपरोक्त अभिशंसाओं का समर्थन किया।
(3) विद्यालय के क्रियाकलाप सम्बन्धित आदिम जाति के जीवन व वातावरण के अनुकूल आयोजित किये जाएं।
(4) माध्यमिक स्तर की शिक्षा के विस्तार हेतु विद्यालय, छात्रावास व छात्रवृत्तियों की सुविधाएँ बढ़ाई जाएं।
(5) ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी (Cadre) का निर्माण हो जो स्वेच्छा से जनजातियों के क्षेत्रों में जाकर सेवा कार्य कर सकें। इन क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों को भी प्रोत्साहन दिया जाए।
(6) इन जातियों के प्रतिभाशाली छात्रों की खोज कर उनके विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।

Scanned by TapScanner

(III) अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा (Education of Minorities)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति का संरक्षण करने तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाएँ स्थापित करने के अधिकार सुनिश्चित किये गए हैं जबकि अनुच्छेद 350(A) में मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य तथा स्थानीय संस्थाओं को दिया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 350(B) में भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष उपबन्ध किये गए हैं।

अनुच्छेद-29 : अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

(1) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।

(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्यनिधि से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद-30 : शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित व प्रशासित करने का अधिकार

(1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

(2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है।

अनुच्छेद-350 : व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण हेतु संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद-350(A) : प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ

प्रत्येक राज्य और राज्य के अन्दर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों के लिए शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

अनुच्छेद-350(B) : भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकार

(1) भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

(2) विशेष अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए सम्बन्धित सभी विषयों का अन्वेषण करें और उन विषयों के सम्बन्ध में ऐसे अन्तरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करें, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और सम्बन्धित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

संविधान के उपरोक्त उद्धरणों के अवलोकन से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक हितों पर विशेष ध्यान दिया गया है जिससे वे अपनी सांस्कृतिक विरासत, भाषायी पहचान, धार्मिक स्वतंत्रता आदि को अक्षुण्ण रख सकें। यद्यपि संविधान में अल्पसंख्यकों को शिक्षा सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित किये गए हैं तथा केन्द्र व राज्य सरकारों के द्वारा भी अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए तरह-तरह की योजनाएँ व कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, फिर भी अल्पसंख्यकों की शैक्षिक स्थिति शोचनीय है।

●●●

Scanned by TapScanner